न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं० 13, गाजियाबाद।

उपस्थित– श्री सौरभ गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O Code–2757

सत्र परीक्षण संख्या 98/2020

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रोहित गुप्ता आदि

मुकदमा अपराध संख्या 1918/2019

अंतर्गत धारा 120–B/302, 302/34, 506 भा०दं०सं०

थाना कविनगर, जनपद गाजियाबाद।

दिनांक–**15.10.2024**

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार करायी गयी।

उपस्थितः–

1–उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से ए.डी.जी.सी. (क्रि०) श्री नितिन शर्मा एवं सहयोगी विद्वान अधिवक्तागण श्री रणवीर सिंह डागर एवं श्री एस.सी. सक्सैना।

2–अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सागिर अली मय अभियुक्त 1–रोहित गुप्ता, 2–सुन्दर पाल, 3–वीरू, 4–सागर जेरे जमानत उपस्थित

4–अभियुक्त आकाश मंडोली जेल से न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया।

5–अभियुक्त पवन (जेरे जमानत) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आदिल रहमान खान।

6–साक्षी अश्वनी कुमार सिंह उपस्थित।

निस्तारण प्रार्थना पत्र पत्रावली कागज संख्या 126 ख

1– प्रार्थी/ अभियुक्त रोहित गुप्ता की तरफ से जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.09.2024 पत्रावली कागज संख्या 126 ख मय शपथपत्र उक्त सत्र परीक्षण वाद को किसी अन्य न्यायालय में ट्रान्सफर किये जाने के आशय से एक ट्रांसफर प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय में दायर किये जाने के आधार पर स्थगन स्वीकार किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा आज की तारीख वास्ते हाजरी/ आपत्ति/ सुनवाई हेतु नियत है, परन्तु प्रार्थी/ अभियुक्त रोहित गुप्ता ने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र वास्ते उक्त सत्र परीक्षण को व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 01/2021, 02/2021, 03/2021 अंतर्गत धारा 340 दं०प्र०सं० रोहित गुप्ता बनाम अश्वनी कुमार सेठ को किसी अन्य विचारण न्यायालय गाजियाबाद में ट्रांसफर किये जाने के संबंध में मा० जिला जज गाजियाबाद के न्यायालय में क्रि०टी० एप्लीकेशन नं०–323/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2024 के विरुद्ध एक क्रि०मि० ट्रांसफर एप्लीकेशन अंतर्गत धारा 447 बी.एन.एस.एस. व 407 सीआर.पी.सी. नं० /2024 रोहित गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. आदि दिनांक 21.09.2024 को श्री रघुराज सिंह व गिरीश चन्द्र मोर्या अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दायर कर दी गयी है, जिसका नोटिस नं० 35533 और टोकिन डिटेल्स नं० 17703592024 है जिसके नोटिस व टोकिन की छायाप्रति मय शपथपत्र साथ में संलग्न है इसलिए न्यायहित में आज स्थगन स्वीकार करते हुए विधिक दृष्टिकोण से दायर किये गये ट्रांसफर प्रार्थना पत्र में पारित होने वाले न्यायिक आदेश की अपेक्षा विचारण न्यायालय द्वारा करते हुए नोटिस व टोकिन डिटेल्स की छायाप्रतियों को पत्रावली पर लिया जाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में स्थगन स्वीकार किया जाकर, ट्रांसफर प्रार्थना पत्र में पारित होने वाले न्यायिक आदेश की प्रतीक्षा करते हुए, नोटिस व टोकिन डिटेल्स को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3– प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि–यह सत्र परीक्षण पत्रावली संख्या 98/2020 राज्य बनाम रोहित व अन्य व इसके साथ प्रचलित विविध प्रार्थना पत्र

01/2021, 02/2021, 03/2021 अंतर्गत धारा 340 दं०प्र०सं० रोहित गुप्ता बनाम अश्वनी कुमार सेठ को इस न्यायालय से स्थानान्तिरत कर किसी अन्य न्यायालय में ट्रान्सफर करने हेतु एक ट्रान्सफर एप्लीकेशन मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दिनांक 21.09.2024 को योजित की गयी है, जिसका नोटिस नं० 35533 टोकन डिटेल्स नं० 17703592024 है। नोटिस टोकन की छायाप्रति सशपथ दाखिल है, जो न्यायालय के विरुद्ध कोई भी स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र योजित होने पर नियमानुसार उसे समस्त कार्यवाहियों को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर आदेश होने तक समस्त कार्यवाहियों पर रोक लगा देनी चाहिए, इस संदर्भ में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की हैं–

1–विधि व्यवस्था 2000 (18) NCD केस सं० 1446 राम लक्षन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

2–पी.के. घोष आई.ए.एस. एण्ड बनाम जे. जी राजपूत 11.11.1995 पेज नं० 8 से 12 में

3–राम नारायण बनाम राकेश 25.01.2006 पेज नं० 13 से 15

4–रफूक भाई भाई एवं अन्य बनाम स्टेट 10 सितम्बर 1969 1970 11 GLR पेज 649 पैरा 16–22 तक

5–लल्लू प्रसाद बनाम लक्ष्मी नारायण 2006 Vol 5 ALJ (NOC) 1041 ALHC

4– जिस पर राज्य की ओर से ए.डी.जी.सी. (क्रि०) श्री नितिन शर्मा एवं सहयोगी विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये कि इस प्रकरण में पूर्व में प्रार्थी द्वारा जिला स्थानान्तरण करने की एप्लीकेशन लगायी थी, जो सम्भवतः सफलता नहीं मिली। पत्रावली कागज संख्या 126 ख प्रार्थना पत्र में पूर्व में जिला स्थानान्तरण करने के प्रार्थना पत्र का कोई उल्लेख इस प्रार्थना पत्र में नहीं किया है वह किस स्तर पर लम्बित है जो इस प्रार्थना पत्र में सशपथ महत्वपूर्ण कथन छिपाये जाना है। केवल टोकन नं० दिया गया है, टी.ए. दर्ज होने या नोटिस होने के संदर्भ में कोई भी स्टेटस प्रार्थना पत्र के साथ नहीं लगाया है, जो कार्यवाहियों को स्थगित करने का कोई आधार नहीं है। उक्त दी गयी विधि व्यवस्था टी.ए. सम्भावित तौर पर टी.ए. रजिस्टर होने के बाद लागू हो सकती हैं। केवल टोकन नं० पर नहीं। दी गयी विधि व्यवस्था धारा 146 दं०प्र०सं० में प्रचलित जाँच के संदर्भ में है, न कि सत्र परीक्षण के संदर्भ में है। यह पत्रावली अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है इसमें कोई प्रारम्भिक जाँच का प्रश्न नहीं है। टी.ए. यदि स्वीकार भी की जाती है तो केवल अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर लम्बित होने के कारण साक्ष्य अंकित होंगे, जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं पडता है। यह प्रार्थना पत्र केवल इस पत्रावली निस्तारण को विलम्बित करने हेतु दिया गया है। यह सत्र परीक्षण वर्ष 2020 से लम्बित है। यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस सत्र परीक्षण को विलम्बित करने के लिए है, जिसमें प्रार्थी/ अभियुक्त योजनाबद्ध तरीके से इस सत्र परीक्षण को विलम्बित कर रहा है। पूर्व में भी केवल एक ही प्रार्थी द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र लगायी गयी है व यह निरस्त होने के पश्चात अन्य अभियुक्तों द्वारा लगायी जाती है। यह प्रार्थना पत्र भी केवल एक अभियुक्त की ओर से लगाया गया है, जिसके निरस्त होने पर इसी तरह के अन्य प्रार्थना पत्र और अभियुक्तों की तरफ से लगाये जायेंगे, जो केवल अभियोजन साक्ष्य को अंकित होने से रोकने के नजरिये से लगाये जा रहे हैं। उक्त पत्रावली में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में इस सत्र परीक्षण को शीघ्र अतिशीघ्र धारा 309 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दी गयी विधि व्यवस्था के तहत निष्पादित करने के लिए आदेशित किया गया है। उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त विधि व्यवस्था का उल्लंघन भी किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कोई विषयवस्तु नहीं है। अतः यह निरस्त होने योग्य है।

5– प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर में कथन किया गया कि मा० सत्र न्यायाधीश, द्वारा दिनांक 25.03.2024 में मा० उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र योजित होने के कारण पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरित कर दी व सत्र न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 13 के विरुद्ध सिविल कंटेम्पट 3101/2024 योजित की गयी है। न्यायहित में पत्रावली को निर्णय तक स्थगित किया जाना आवश्यक है।

6– प्रतिउत्तर में अभियोजन द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा दी गयी चारों विधि व्यवस्थाओं में से प्रथम इंक्वारी के स्तर पर है, दो सिविल केस से संबंधित है तथा चौथी मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य के स्तर पर है, जो यह एक क्रिमिनल केस हत्या से संबंधित और अभियोजन साक्ष्य सूचनाकर्ता के साक्ष्य पर लम्बित होने के कारण इस प्रकरण पर लागू नहीं होतीं। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि क्रिमिनल केस मजिस्ट्रेट के समक्ष इस संदर्भ में दी गयी विधि व्यवस्था साक्ष्य दर्ज कर निर्णय करने के संदर्भ में है। यह प्रकरण अभी अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है। न्यायालय के

समक्ष लम्बित सभी वर्णित वादों में तीन इंक्वारी हैं, जो धारा 340 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही हेतु लम्बित हैं। इस पत्रावली में धारा 91 दं०प्र०सं० के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र लम्बित है, जो साक्ष्य से पूर्व का है और इसके विरुद्ध इसी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पहले सत्र न्यायालय से खारिज होने के पश्चात मा० उच्च न्ययालय में एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। जो बाद में वापस ले लिया गया था।

7– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/ अभियुक्त पूर्व में 07 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विभिन्न पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध योजित कर चुका है, जो प्रार्थी/ अभियुक्त या सहअभियुक्त के किसी प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पश्चात योजित किये गये हैं और इस तथ्य का उल्लेख भी आवश्यक है कि उन आदेशों के विरुद्ध कोई आपराधिक निगरानी या अपील योजित नहीं की गयी, जो केवल पत्रावली निस्तारण को विलम्बित करने की मंशा से योजित किया जाना परिलक्षित होती है। अभियुक्तगण चार वर्ष तक इस पत्रावली निस्तारण में आरोप तय होने को विभिन्न तरीकों, जिनमें से प्रमुख अभियुक्तों की गैर हाजरी या स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र या अभियुक्तगण की आरोप के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थिति के माध्यम से कर चुके हैं। इस न्यायालय के विरुद्ध योजित स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र जिसके विरुद्ध धारा 407 दं०प्र०सं० के अंतर्गत मा० उच्च न्यायालय के समक्ष योजित किये गये हैं, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया गया था, केवल उन्मोचन प्रार्थना पत्र का मैमोरेण्डम में विवरण न दिये जाने के कारण योजित किया गया था, जो स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 323/2024 में मा० सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध किया है।

8– जिस कंटेम्पट का हवाला दिया गया है, उक्त आदेश मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या 8564/2024 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से न्यायिक रूप से अपहोल्ड किया है और उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl.) No. 13524/2024 भी योजित किया गया है, जिसमें मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2024 के माध्यम से अपहोल्ड किया है।

9– मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 संख्या 27/2022 में आदेश दिनांकित 24.05.2022 (इसी आदेश के संदर्भ में धारा 140 ख में अभियुक्त द्वारा उल्लेख किया गया है कि नं० त्रुटिवश नं० 27/2022 लिखा है, जो कि 27/2021 होना चाहिए था) के माध्यम से धारा 309 दं०प्र०सं० के अंतर्गत पत्रावली निस्तारण हेतु आदेशित किया है।

10– मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में कोई भी स्टे का आदेश पारित नहीं किया है, फिर भी न्यायहित में अन्तिम अवसर कोई स्टे अथवा अंतरिम आदेश यदि कोई हो तो, दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है।

11– इस प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य अंकित किये जाने हैं, फिर भी यह न्यायालय अभियुक्त के प्रार्थना पत्र को दृष्टिगत रखते हुए केवल अभियोजन साक्ष्य अंकित करवाने का कार्य करेगा, अन्य कोई आदेश साक्ष्य से भिन्न स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के निस्तारण के बाद करेगा।

12– प्रार्थना पत्र कागज संख्या 126 ख में वर्णित आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र कागज संख्या 126 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– प्रार्थी/ अभियुक्त रोहित गुप्ता की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.09.2024 पत्रावली कागज संख्या 126 ख निरस्त किया जाता है।

2– पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 24.10.2024 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–13,

गाजियाबाद।